UPKU100050812026

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1331/2026

सरकार बनाम रमायन चौहान आदि

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

03.06.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण **रमायन चौहान, मुखली देवी, विमला देवी, मीरा देवी व सरीता देवी** की ओर से मु०अप०सं०–199/2024, अन्तर्गत धारा–147, 504, 506, 427 भा०द०सं०, थाना–**तुर्कपट्टी**, जिला–कुशीनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उपरोक्त मामले में चार्जसीट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध माजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त को थाने से **41A Crpc** की नोटिस पर रिहा किया गया था जिसके अनुपालन में दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिव्यवस्था **Satendra kumar Antil vs C.B.I.(2021)10 SCC 0773** में पारित निर्देशो के प्रकाश में तथा मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **रमायन चौहान, मुखली देवी, विमला देवी, मीरा देवी व सरीता देवी** की ओर से मु०अप०सं०–199/2024, अन्तर्गत धारा–147, 504, 506, 427 भा०द०सं०, थाना–**तुर्कपट्टी**, जिला–कुशीनगर में प्रत्येक द्वारा अंकन 25,000/– रूपये के एक सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कसया, कुशीनगर स्थान।

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.06.03 16:55:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court